



2026:AHC:40551

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 4907/2026

महान्गु

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

:

अरुणेश कुमार सिंह

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थायी अधिवक्ता, सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 1, 2 और 3 की ओर से नोटिस स्वीकार किया, और श्री सुधीर भारती, विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से उपस्थित हुए।
2. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रार्थना के साथ दायर की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), कुशीनगर को यह निर्देश दिया जाए कि वे उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत अपील संख्या डी202505440002731 (महंगू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) की सुनवाई को निर्धारित समय-सीमा के भीतर शीघ्रता से पूरा करें।
3. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना।
4. इस मामले के दृष्टिकोण से और न्याय के हेतु में भी, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2, यानी अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक), कुशीनगर को निर्देश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त अपील का निर्णय शीघ्रता से, कानून के अनुसार सख्ती से और यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना करें।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

23 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"